495
संख्या–~~361~~/26–ब0प्र0–2010एस0 एन0डी0(144)/2010

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ::दिनांक 9 जून, 2010

विषयः–उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने हेतु प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को लाभार्थियों के चिन्हांकन एवं सर्वेक्षण कराने की व्यवस्था हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत रू0 200.00 करोड़ की बजट व्यवस्था 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत की गई है। इस धन व्यवस्था के सापेक्ष उक्त योजना को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने हेतु लाभार्थियों के चिन्हांकन एवं सर्वेक्षण कराने के लिये प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को प्रति जनपद रू0 5,00,000/– (रूपये पॉच लाख मात्र) अर्थात 71 जनपदों के लिए कुल रू0 3,55,00,000/– (रूपये तीन करोड़ पचपन लाख मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निवर्तन पर रखते हैं:–

1.निदेशक समाज कल्याण, स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का जनपदवार आवंटन अपने स्तर से करते हुए धनराशि के आहरण हेतु सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारियों को प्रति भी पृष्ठांकित करेंगे।

2.धनराशि के आहरण/व्यय में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये, इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। व्यय निर्धारित मानक एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाये।

2. उपर्युक्त योजना पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्यय में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार लेखा शीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनागत–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–05–उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना–00–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा

और उक्त योजना के लिये की गयी 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–की मद में उपलब्ध बजट व्यवस्था से संलग्न पुर्नविनियोग द्वारा वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–3–1020/दस–2010 दिनांक 09 जून, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न–बी0एम0–15

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव

संख्या–~~364~~ 495(1)/26–ब0प्र0–2010–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, समाज कल्याण)
5. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 एवं 2
8. राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2 एवं नियोजन अनुभाग–3
9. समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण), उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव

पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)
वित्तीय वर्ष 2010–11

अनुदान संख्या व नाम–अनुदान संख्या–83 समाज कलयाण विभाग
(अनुसूचित जातियों के लिए विशोष घटक योजना)

प्रपत्र–बी0एम0–15
(धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक आयोजनागत	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	स्कमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनागत– 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यकम– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– 05–उ0प्र0 मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना– 00– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–	2000000	35500	35500	35500	1964500
योग–					

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	सकमण हेतु प्रस्तावित धनराषि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	स्कमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनागत– 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यकम– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– 05–उ0प्र0 मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना– 00– 42–अन्य व्यय–	00	35500	35500	35500	35500
योग–					

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

संख्या–आर0ई0–035/ई–3–1020/दस–2010, दि0 9 जून, 2010

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(प्रेमनाथ)
विशेष सचिव,
समाज कल्याण विभाग

(प्रेम नारायण)
प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण विभाग

2.धनराशि के आहरण/व्यय में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय,

संख्या– ५९५ (1)/26–2–2010–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव,
समाज कल्याण विभाग

2.धनराशि के आहरण/व्यय में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय,